तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.17	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल होकर शामिल मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, जिला बून्दी

प्रा.पत्र सं. 95/प्रा/15 पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाटा R.A.S.

दायरी दिनांक - 9.9.15

उनवान

1. रामलाल आ॰ कंवरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम डडवाड़ा हाल निवास महावीरपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. साहबलाल आ॰ औंकार जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़

2. श्रीराम आ॰ औंकार जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़

3. रमेश आ॰ औंकार जाति मीणा निवासी डपटा तहसील इन्द्रगढ़

4. औंकार आ॰ शंकरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़

5. सीताराम आ॰ शंकरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.

6. राज॰ सरकार जरिये तहसीलदार सा॰ इन्द्रगढ़, जिला बून्दी

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (ख) आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक - 21.12.17

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 (ख) आर.टी. एक्ट पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है- प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं. 466 रकबा 2.31 है. वाके ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2069-2071 संलग्न है। प्रार्थी महावीरपुरा लाखेरी में निवास करता है। प्रार्थी ने उक्त आराजी आधोली काश्त पर

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी सं. 1 लगा 5. को आज से करीब 6 वर्ष पूर्व दी इसबाबत मौखिक इकरार हुआ था कि खाद-बीज व फसल-कटाई, थ्रेशर का खर्चा निकालने के बाद शेष उपज का ½ हिस्सा प्रार्थी का व शेष ½ हिस्सा अप्रार्थीगण 1 लगा 5 का रहेगा। वर्तमान में कृषि भूमि की कीमत बढ़ जाने से अप्रार्थी सं. 1 लगा 5 के मन में बदयान्ति आ गई जिसके कारण अप्रार्थी सं. 1 लगा 5 ने करीब 1 वर्ष पूर्व प्राप्त उपज का ½ हिस्सा प्रार्थी को देना बन्द कर दिया गया। तब प्रार्थी ने अपनी सहमति को वापस लेते हुए वाद विषयक आराजी का कब्जा अप्रार्थी सं. 1 लगा 5 से सुपुर्द करने का निवेदन किया गया लेकिन अप्रार्थी सं. 1 लगा 5 ने कब्जा भूमि का छोड़ने से मना कर दिया। वाद विषयक आराजी पर नाजायज रूप से काबिज काश्त रहकर अवैध रूप से कृषि उपज पैदा कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बाद जांच पड़ताल करने के पश्चात वाद विषयक आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई प्रार्थी ने अंतिम बार जून 2015 के प्रथम सप्ताह में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 से कब्जा छोड़ने का मौखिक रूप से निवेदन ग्राम डपटा में जाकर किया लेकिन अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 ने वाद विषयक आराजी पर से कब्जा छोड़ने से मना कर दिया और प्रार्थी को धमकी दी कि वाद विषयक आराजी पर आया तो जान से खतमकर देंगे। अप्रार्थीगण 1 लगा 5. के विरुद्ध वाद विषयक आराजी पर अवैध रूप से काबिज काश्त रहकर अनैतिक रूप से कृषि लाभ प्राप्त करने के कारण उक्त आराजी पर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जावे तथा रिसीवरी राशि को सरकारी खजाने में जमा कराते हुए आय-व्यय का समस्त हिसाब किताब प्रत्येक कृषि वर्ष का न्यायालय हाजा में पेश करे। यदि रिसीवर नियुक्त किया जाना संभव नहीं हो तो अप्रार्थी सं. 1 लगा 5 पर केश सिक्यूरिटी बाबत 5000 रु प्रति बीघा प्रतिफसल के हिसाब से कायम किया जाकर अप्रार्थी सं 1 लगा 5 से नकद सरकारी खजाना में तहसीलदार इन्द्रगढ़ के पास जमा करावे का निवेदन प्रार्थना पत्र मे किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अधिवक्ता नियत पेशी पर जवाब

क्रमशः....

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रा.पत्र में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया। संक्षेप में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है- प्रार्थी का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। अप्रार्थीगण ने बतौर आबौलिया काश्त नहीं की वरन् अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही निर्बाध - निरन्तर रूप से साधिकार काबिज है। वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 से 5 के पिता श्री शंकरलाल के विरुद्ध सिलिंग कार्यवाही चली थी सीलिंग आवंटन नियमानुसार अनु. जनजाति की भूमि केवल अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को ही आवंटित की जा सकती है। लेकिन सीलिंग नियम विरुद्ध उक्त आराजी प्रार्थी को आवंटित हो गयी जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अप्रार्थीगण के पिता से वाद विषयक आराजी का कब्जा कब्जेगज नहीं लिया गया। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर पूर्वजों के समय से ही मय बिन नामान्तकरण तक निरन्तर काबिज काश्त है व कृषि लाभ प्राप्त करते आ रहे है। नामान्तकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसिडिंग है। किसी नामान्तकरण से गैर खातेदारी से खाते -दारी दी गई है तो वह Conclusive proof नहीं है। गलत इन्द्राज से स्वत्व प्राप्त नहीं होता। प्रार्थी ने एक वाद 23/05 उनवान रामलाल बनाम ओंकार न्याया -लय में दिनांक 11/05/15 को धारा 188 के तहत प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने उक्त वाद प्रार्थी का कब्जा नहीं मानते हुए 22/02/06 को खारिज किया। अप्रार्थी सं. 1 ओंकार लाल ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां अपील/ सिलींग 8190/06/बून्दी बनाम ओंकार लाल बनाम सरकार प्रस्तुत कर रखी है। जिसमे न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 22/12/2006 को स्थगन आदेश जारी कर रखा है। प्रार्थी के कथन से उक्त आराजी immedio नहीं है तथा जहां कृषि भूमि immedio नहीं हो वहां पर कानूनन रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। नियत पेशी पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण की स्थिति वर्तमान में अतिक्रमी की है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 140 के अनुसार अधिकार अभिलेख में किए गए समस्त इन्द्राजों के सही होने की उपधारणा की जाएगी जब तक विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए। सीलींग एक्ट 1973 की धारा 16 के अनुसार सीलींग से अवाप्त भूमि राज्य सरकार में निहित होगी। पूर्व खातेदार

क्रमशः...

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned by CamScanner

का कोई अधिकार नही माना जाएगा। सीलींग एक्ट की धारा 21 के तहत धारा 16 के तहत राज्य सरकार मे निहित भूमि प्राथमिकता के आधार पर गांव के भूमिहीन श्रमिकों मुख्यतया अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित की जाएगी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया व कथन किया कि हमारे कब्जा काश्त के आधार पर गैर खातेदारी दर्ज हुयी इसका आवंटन शून्य कैसे माना जाएगा। गैर खातेदारी से खातेदारी में पटवारी रिपोर्ट ली जाती है मौका देखा जाता है, समस्त तकमीली पूरी होने के बाद ही खातेदारी अधिकार दिए जाते है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 को दोहराते हुए कथन किया कि बैंक ऑफ बडौदा, लाखेरी से हमारी आराजी पर ऋण स्वीकृत हुआ है व इस सक्षम प्राधिकारियो के आदेश को आज तक किसी सक्षम न्यायालय में चैलेन्ज नही किया गया। प्रा. पत्र की चरण सं 7 व जवाब प्रार्थना पत्र की चरण सं. 7 को पढते हुए बहस की कि हमारे दावे को मियाद बाहर बताया है। हमारी application रिसीवर नियुक्त करने की है यह मियाद बाहर है या नही यह तथ्य मूलवाद में देखा जाएगा। अप्रार्थीगण का unlawful कब्जा है। हमारे खातेदारी की जमीन पर हमे कृषि लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। जबरन जमीन पर काबिज हो जाता है तो प्राकृतिक न्याय अवधारणा के अनुसार रिसीवरी / कैश सिक्यूरिटी कायम की जानी चाहिए। जबाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण ने प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी का तथ्य दिया है तो अप्रार्थीगण ने आज दिनांक तक खातेदारी का दावा क्यू पेश नही किया। राज. काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अनुसूचित जाति की कृषि भूमि पर खातेदारी नही दी जा सकती।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RLW 2002 RJ Page- 324 पेश कर कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "जमाबंदी अभिकारो का रिकार्ड होने के कारण ज्यादा विश्वसनीय एवं अधिकृत दस्तावेज है जिस पर सुरक्षित रूप से विश्वसनीयता की तस्दीक की जा सकती है सभी संभाव -नाओं मे इसे सही व सत्य मानी जानी चाहिए जब तक कि इसके

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमश......

Scanned by CamScanner

विपरीत साबित न हो।

RLW 2010 (1) RJ. Page 79 पेश कर कथन किया कि इस नजीर में राजस्व मण्डल अजमेर ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी पक्षकार का भूमि पर अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया अधिकार और स्वत्व बनता है तो राजस्व न्यायालय को उसके अधिकार के संरक्षण हेतु नकद प्रतिभूति जमा कराने की शर्त अधिरोपित करने की अन्तर्निहित शक्ति प्राप्त है। अधिवक्ता ने DNJ 2014 (Raj) Page 278-280 पेश कर कथन किया कि वाद विचाराधीन होने के दौरान वाद सम्पति को सुरक्षित की जानी चाहिए। RRD 1992 जगतार सिंह vs श्रीमती गुलाबो व अन्य पेश कर यह उद्धरण लिया कि न्यायालय पक्षकारान के स्वत्व की रक्षा हेतु धारा 212 से बाहर जाकर भी रिसीवर नियुक्त कर सकती है। RRD 1992 पेज 424 में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "apart from Section 212 of the Act, the revenue court had inherent powers under Section 151 of the CPC, which has been mand applicable to revenue courts by the provisions of Section 208 of the Act, to impose such condition"

अंत में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के रिलीफ को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि जब Property immedio है। जब दोनो पक्ष अपने-अपने कब्जे का तथ्य लाये तो ऐसी स्थिति में ही रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। प्रार्थी मानता है कि अप्रार्थीगण का कब्जा है। इस पर रिसीवर नियुक्त नही हो सकता। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में केवल कपोल-कल्पित तथ्य दिये गये है। जःप्रार्थना पत्र की चरण सं. 6 महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने यह तथ्य दिया है कि वाद सं. 23/05 उनवान रामलाल बनाम ओंकार, सीताराम, सारबलाल आदि के विरुद्ध न्यायालय में दिनांक 11.05.2005 को धारा 188 का दावा प्रस्तुत किया था। इस दावे

क्रमशः...

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

को प्रार्थी का कब्जा नही मानते हुए माननीय न्यायालय ने वाद 22.02.2006 को खारिज किया था। स्वयं वादी ने अपना कब्जा नही माना। 2005 में दावा दायर करने से पूर्व ही कब्जा नही था इसलिए खारिज हुआ। आमोली का झूठा तथ्य पेश कर रहे हैं कब्जा ही नही कब कब्जा लिया कोई तथ्य नही दिया है। निर्णय 22.02.2006 में तनकी सं. 2 के ओर ध्यान आकर्षित करवाकर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि इसमें PW2 के बयान दिनांक 28.09.2005 की जिरह मे बताया है कि विवादित जमीन पर प्रतिवादीगण ने 5-7 वर्ष से जबरदस्ती कब्जा कर रखा है वाद वर्णित भूमि पर कब्जा साबित ही नही हुआ। उक्त निर्णय की अपील मे ही हार चुके है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि धारा 212(2) का निर्णय करते समय केवल कब्जा देखा जाएगा। RLW 2003 RJ. Page 165 Gangaram & Ors Versus Dayaram & Ors में राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारण किया कि " When the non-petitioner admits the possession of the applicants over the disputed land, then no. question arises for appointing receiver. RRD Mar. 2003 Page 148-149 पेश कर कथन किया कि "काबिज व्यक्ति को विधिक प्रक्रिया के द्वारा ही बेदखल किया जा सकता है रिसीवर नियुक्ती के जर्ये बेदखल नही किया जा सकता" RRD 2005 Page 183 Ibrahim V/s Indra Singh पेश कि व तर्क किया कि जब विवादित भूमि इनाडियो नही है। वर्तमान मे रिसीवर नियुक्त करके बेदखल नही किया जा सकता ना ही कैश सिक्योरिटी ही उचित है। RRD 2004 Page 366 Pratap Singh & ors. V/s Narendra Kumar & ors. में भी अभिनिर्धारण लिया है "disputed land is since long in possession it is not desirable to evict by appointment of receiver." RRD 1998 Page 80 पेश कर कथन किया कि "Question of title shall be decided in original suit - - - plantiff can not be deprived of possession

ह०
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमश....

by appointing receiver. Appointment of receiver is harsh remedy which should have not been resorted to deprive other party from possession. RRD 1990 Page 7 Rameshwarnath V. Ramesh Chandas में यह अभिनिर्धारण दिया गया कि When factum of possession is clear, it is wrong to treat the property to be in medio — Appointment of receiver after 6 years of filing of application when suit was almost ripe for final disposal, showed lack of urgency in the matter. वर्तमान प्रकरण में दावे को 12 वर्ष हो चुके है तभी लगाना चाहिये था। कब्जा साधिकार है या नही यह तथ्य दावे में बाद साक्ष्य तय होगा ना कि 212 के प्रार्थना पत्र में। RRD 1990 पेज 188 Jagdev Singh V. Tarsem Singh में भी अभिनिर्धारण किया है कि Appointment of receiver is the harshest remedy and should not be resorted to without hearing opp. party — even a trespasser in possession cannot be evicted in the guise of appointing a receiver. अतः साथ ही प्रार्थी की पेश न्यायिक नजीर उक्त प्रकरण चस्पा नही होती है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि सीलींग अधिनियम 1973 पर धारा 42 (B) आर ही एक्ट लागू नही हो रही है, जो Ruling अप्रार्थीगण द्वारा पेश कि गयी है सभी lawful possession की है। ये चस्पा नही होती है। राज्य सरकार ने सीलींग एक्ट भूमिहीन /SC/ST/OBC को भूमि देने के लिये लागू किया। सीलींग एक्ट की सम्पूर्ण धाराओं को अधिवक्ता प्रार्थी ने दोहराया व कथन किया कि इसमें कोई प्रावधान नही है कि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

SC की भूमि SC के, ST की ST को ही अलोट की जाएगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने विवादित आराजी की रिसीवरी/केश सिक्युरिटी इस आधार पर चाही है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर अनाधिकृत कब्जा काश्त कर कृषि लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान प्रकरण में जमाबंदी में खातेदार प्रार्थी दर्ज है लेकिन कब्जा अप्रार्थीगण का है। स्वयं प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कब्जा माना अतः निर्विवाद रूप से विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा प्रार्थना पत्र दायर करने के पूर्व से है। मा॰ उच्चतम न्यायालय ने बहुत से प्रकरणों में यह अभिमत दिया है कि रिसीवर वहां नियुक्त नहीं किया जाएगा जहां उसका प्रभाव वास्तविक कब्जे से प्रतिवादी को वंचित करना है क्योंकि यह अपूर्णीय दोष कारित कर सकता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में आराजी आधोली काश्त पर देने व फिर अप्रार्थीगण के मन में बदनीयति आजाने व कब्जा नहीं देने के तथ्य को किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया। जबकि अप्रार्थीगण ने इस तथ्य को सिरे से अस्वीकार किया है। पूर्व में न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.02.2006 के अवलोकन से भी स्पष्ट है जिसमें प्रार्थी की Pleading से जाहिर है आधोली काश्त का कोई तथ्य नहीं

क्रमशः –

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

नही है। कब्जा अप्रार्थीगण का है व यह तथ्य वाद में निर्णीत होगा कि कब्जा का स्वत्व है या नही। प्रार्थी का पूर्व में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारिज हो चुका है। अप्रार्थीगण का कब्जा वाद विषयक आराजी पर अवैधानिक व अनाधिकृत कह कर प्रार्थी आराजी पर रिसीवरी /केस सिक्युरिटी चाहता है। अप्रार्थी अतिक्रमी है या नही यह मूल दावे में ही निर्णीत किया जा सकता है। वर्तमान में अप्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल कर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश देना न्यायोचित नही है रिसीवरी एक कठोरतम आदेश है। अप्रार्थीगण लम्बे समय से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करने का तथ्य अपने जवाब प्रार्थना पत्र में लेकर आया है जिसका खण्डन प्रार्थी द्वारा किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नही किया गया है। अतः इतनी लम्बी अवधि से काबिज व्यक्तियों को धारा 212 के अधीन कब्जे से बेदखल कर रिसीवर नियुक्त कर देना बिल्कुल भी उचित प्रतीत नही होता है साथ ही जब इतने समय से अप्रार्थीगण का कब्जा था तो इतने समय व्यतीत होने के बाद रिसीवरी व केश सिक्युरिटी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसका कोई समुचित कारण भी प्रार्थी द्वारा तथ्य व साक्ष्यों से सिद्ध नही कर पाए है।

उक्त विवेचन के आधार पर व सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतो के मनन उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212(ख)

क्रमशः -

(sd)
खण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

आर. टी. एक्ट, खारीज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.12.17 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner